न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) चौहटन, जिला बाड़मेर

क्रमांक/भू.अ./2022/ 1108

दिनांक 13/05/2022

प्रार्थी :-
1. रतनलाल पुत्र खेताराम
जाति सुथार, निवासी अम्बेडकर नगर
तहसील चौहटन

विप्रार्थीगण:-
1.सिणगारी पत्नि जगमालराम
जाति विश्नोई, निवासी अम्बेडकर नगर
तहसील चौहटन, जिला बाड़मेर
2.तहसीलदार चौहटन

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राज.भू.राजस्व अधिनियम
वास्ते करने नेखमबंदी बाबत |

राजस्व आवेदन सं. 46/2019

दिनांक : 06.05.2022

आदेश

तहसीलदार चौहटन को भेजकर लेख है कि उपरोक्त प्रकरण में तहसील चौहटन, पटवार क्षेत्र चौहटन के मौजा अम्बेडकर नगर के खेत खसरा सं. 1565/661 रकबा 01.00 बीघा भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु आपको कमिशनर नियुक्त किया जाता है| उक्त विवादित भूमी के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु आपको कमिशनर नियुक्त किया जाता है| उक्त विवादित भूमी की नेखमबंदी/पेमाईश आप अपने स्तर पर किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो दोनों पक्षों के रूबरू मुस्तकिल/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर विधिसम्मत तरीके से उपरोक्त भूमी की नेखमबंदी कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस में अवश्य पेश करे |

नेखमबंदी के दौरान विप्रार्थीगण के हितो पर कुठाराघात न हों| आवश्यकता होने पर सम्बन्धित पुलिस थाना से पुलिस इमदाद हेतु अधिकृत किया जाता है | प्रार्थी कमिशनर को कमिशनर फीश रुपये 500/- मौके पर अदा करेंगे|

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

उपखण्ड अधिकारी चौहटन

क्रमांक/भू.अ./2022/ 1109 to 1112

दिनांक 13/05/2022

प्रतिलिपि :-
1. तहसीलदार चौहटन
2. प्रार्थी रतनलाल
3. विप्रार्थीगण सिणगारी वगैरा
4. थानाधिकारी पुलिस थाना चौहटन/बीजराड़/धोरीमन्ना

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhagirath Ram
Date: 2022.06.27 17:01:21 IST
Reason: SelfAttested

(भागीरथ राम II)
उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

उपखण्ड अधिकारी चौहटन